प्रेस नोट
दिनांक – 12.11.2025
जनपद – गोण्डा

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना कोतवाली मनकापुर का वार्षिक निरीक्षण कर फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण व अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करने को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश-

थाना परिसर में महोदय द्वारा नवनिर्मित "चौकीदार आश्रय केन्द्र" का लोकार्पण कर ग्राम प्रहरियों को कम्बल, टार्च व अन्य आवश्यक सामग्री वितरित किये गये-

गोण्डा। आज दिनांक 12 नवम्बर 2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना कोतवाली मनकापुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय के थाना परिसर में आगमन पर क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री विनय कुमार सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक मनकापुर श्री निर्भय नारायण सिंह द्वारा बुके भेंट कर उनका स्वागत किया गया। स्वागत उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गार्द की सलामी ली गई । तत्पश्चात महोदय ने क्रमवार रूप से भोजनालय कक्ष, पुलिस आवास, थाना परिसर, कार्यालय, विवेचना कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, शस्त्रागार, बैरक, कैशबुक रजिस्टर व बाउंड्रीवाल आदि का भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा थाना परिसर को साफ-सुथरा एवं व्यवस्थित रखने, सभी अभिलेखों को अद्यतन एवं सुव्यवस्थित ढंग से संधारित करने तथा कार्यालय के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। शस्त्रागार में रखे गए शस्त्रों की साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेते हुए महोदय ने उन्हें नियमित रूप से मेंटेन रखने का निर्देश दिया। भोजनालय कक्ष का निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन तैयार करने के संबंध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र / महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों से संवाद किया गया। महोदय ने घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न एवं अन्य महिला संबंधी अपराधों की शिकायतों पर संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण एवं त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं की काउंसलिंग के समय महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, अतः उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। महोदय द्वारा अपराध रजिस्टर, बीट बुक, सीआईआर रजिस्टर आदि का निरीक्षण करते हुए प्रभारी निरीक्षक मनकापुर को अपराध नियंत्रण हेतु गश्त व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा रात्रिकालीन गश्त व वाहन चेकिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना परिसर में चौकीदारों के लिए नव-निर्मित "चौकीदार आश्रय केन्द्र" का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महोदय ने कहा कि यह कक्ष चौकीदारों के उपयोग एवं सुविधाजनक कार्य निष्पादन हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इसके पश्चात महोदय ने चौकीदारों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनका हालचाल जाना तथा उन्हें टॉर्च एवं कंबल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने चौकीदारों को स्थानीय अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं समय से थाना प्रभारी को उपलब्ध कराने और अपने कर्तव्यों का निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया। अंत में पुलिस अधीक्षक महोदय ने थाना स्टाफ को जनसाधारण की समस्याओं को संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ सुनने, त्वरित निस्तारण करने तथा पुलिस की छवि जनहितैषी बनाए रखने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री विनय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मनकापुर श्री निर्भय नारायण सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 12.11.2025
यातायात माह नवम्बर, जनपद – गोण्डा

"यातायात माह नवंबर-2025” के अंतर्गत छात्राओं को किया गया यातायात नियमों के प्रति जागरूक-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में “यातायात माह नवंबर-2025” के दृष्टिगत आज दिनांक 12.11.2025 को सरयू कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, गोण्डा में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सुश्री शिल्पा वर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि “यातायात नियमों का पालन करना केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि यह जीवन की सुरक्षा से जुड़ी अत्यंत आवश्यक आदत है। सड़क पर सावधानी और अनुशासन अपनाने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। छात्राएं स्वयं जागरूक बनें और अपने परिवार व समाज को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।” कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें, नशे की अवस्था में वाहन न चलाएं तथा सड़क पार करते समय विशेष सावधानी बरतें। अधिकारियों द्वारा छात्राओं को यह भी बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करना न केवल कानूनन आवश्यक है, बल्कि यह स्वयं एवं दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं को यातायात नियमों से संबंधित पम्पलेट वितरित किए गए तथा उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सड़क सुरक्षा एवं यातायात अनुशासन का पालन करने की शपथ दिलाई गई। जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा “यातायात माह नवंबर-2025” के अंतर्गत इसी प्रकार जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

इस अवसर पर प्रभारी यातायात श्री जगदंबा गुप्ता, टीएसआई श्री राकेश कुमार, मुख्य आरक्षी दयानाथ चौहान, आरक्षी योगेश कुमार, होमगार्ड दिनेश चंद पांडे एवं होमगार्ड काशीराम सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.11.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपदीय एण्टीरोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक-

गोण्डा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के राजपत्रित अधिकारी व एण्टी रोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इस दौरान टीमों ने गांवों, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम में टीमों ने महिलाओं/बालिकाओ को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय, और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने-जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए तथा फीडबैक फार्म भरवाकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया साथ ही महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है साथ ही एण्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है-

112- पुलिस आपातकालीन सेवा
1090- वूमेन पावर हेल्पलाइन
1076- माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
108- एंबुलेंस सेवा
1930- साइबर अपराध हेल्पलाइन
1098- चाइल्ड हेल्पलाइन
102- स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों, जैसे अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, बैंक संबंधी धोखाधड़ी से बचाव, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। टीमों द्वारा यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी है, ताकि वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

मीडिया सेल, गोण्डा